उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या–107 / 22 / **JE-23** / **G-2** / 2023–24 दिनांक 08 अगस्त, .2024

कार्यालय ज्ञाप

एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2023 के चयन परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2024 के संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर विचार करते हुए मा0 आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों को निम्नवत निस्तारित कर दिया गया है:–

क्रमांक	प्रार्थी का नाम, अनुक्रमांक व प्रत्यावेदन तिथि	प्रार्थी का कथन	निस्तारण आदेश
01.	सन्दीप बहुगुणा अनुक्रमांक–810118 दिनांक 11.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि विज्ञापन संख्या A-1/JE (DR)/E-4/2023-24 हेतु प्रथम परिणाम दिनांक 23 फरवरी, 2024 को जारी किया गया है, जिसमें दिव्यांगजन की श्रेणी में कट–ऑफ मार्क्स 43.87 है और परिणाम में यह भी स्पष्ट है कि लगभग 2 गुना अभ्यर्थी के लिए नोटिफिकेशन में क्रम संख्या–15 में यह उल्लेख भी किया गया है कि दिव्यांगजन के लिए अर्ह अंक नहीं रखे गये हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन दिनांक 04 मार्च, 2024 के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रार्थी दिव्यांगजन की उपश्रेणी OL से संबंधित है। प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन दिनांक 14.10.2023 में OL उपश्रेणी से संबंधित कुल 10 पद आरक्षित हैं, जिनके सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के कट–ऑफ मार्क्स विभागवार निम्नवत हैं:– 1. ग्रामीण निर्माण विभाग–496.3180 2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संस्थान – 475.5259 3. लोक निर्माण विभाग (सिविल)– 550.7221 4. लोक निर्माण विभाग (प्राविधिक)– 612.3057 प्रार्थी के प्राप्तांक 153.8410 हैं। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का चयन उनसे संबंधित आरक्षित पदों पर मेरिट के अनुसार किया गया है। प्रार्थी के प्राप्तांक चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक से कम हैं। तद्क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
02	श्री अंकित नैथवान अनुक्रमांक– दिनांक 15.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023 का अंतिम चयन परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है, जिसमें दिव्यांगजन श्रेणी के पदों को उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर पुनः	विज्ञापन दिनांक 14.10.2023 में विभिन्न विभागों के लिए दिव्यागजन की विभिन्न श्रेणियों के लिए पद विज्ञापित किये गये हैं। उल्लेख करना है कि मा0 आयोग की बैठक दिनांक 01.03.2024 एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा

		अग्रेनीत कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं उत्तराखण्ड शासनादेश 14 अक्टूबर, 2022 के विरूद्ध परीक्षा परिणाम घोषित कर दिव्यांगजनों को राजकीय सेवा से वंचित रखने का प्रयास किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैः— अंतिम चयन परिणाम में पुनः लोक निर्माण विभाग सिविल में दिव्यांगजन HH/PD के 07 एवं MD के 02 पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है, जबकि इससे पूर्व भी संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता चयन परीक्षा—2013 के अंतिम चयन परिणाम में भी दिव्यांगजन PD के कुल 09 पदों को पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण अग्रेनीत किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(2) के अनुसार एवं उत्तराखण्ड दिव्यांगजन संबंधित शासनादेश 14 अक्टूबर, 2022 में लिखित बिंदु संख्या—3 के अनुसार स्पष्ट उल्लिखित है किः— दिव्यांगजन के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत के अंतर्गत आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से बिना भरे रह जाती है, तो उसे संबंधित आयोग/चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जाएगा। यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन	संशोधित—2024 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक पूर्णांक के 30 प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं। चयन परिणाम दिनांक 10.07.2024 के लिए तैयार मेरिट में उक्त प्राविधान के अनुसार पूर्णांक 920 का 30 प्रतिशत अर्थात 276 अंक धारित अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची से मेरिट के आधार पर दिव्यांगजन के आरक्षित पदों के सापेक्ष चयन किया गया है। उपरोक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग के लिए HH/PD के 07 व MD के 02 आरक्षित पदों के सापेक्ष चयन नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख विभागवार निर्गत चयन परिणाम में कर दिया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के संदर्भ में उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग—2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः232(1)xxx(2)/2018 दिनांक 26.09.20218 के बिंदु संख्या—12 (ख) के परन्तुक में उल्लेख है कि दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। आयोग एक चयन संस्था है, जबकि नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित विभाग है। तद्क्रम में दिव्यांगता की एक उपश्रेणी को दूसरी उपश्रेणी में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित है। उल्लेखनीय है कि शासन/विभाग से प्राप्त अधियाचन में यह उल्लेख नहीं है कि यदि दिव्यांगता के लिए आरक्षित पद के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है, तब उस पद को दिव्यांगता की किसी अन्य उपश्रेणी से भरा जाय।

		उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह रिक्ति पांच प्रवर्गों में से अदला–बदली द्वारा भरी जा सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा। अर्थात दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 धारा 34(2) एवं संबंधित शासनादेश 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार लोक निर्माण विभाग सिविल में HH/PD के 07 पदों को इस भर्ती परीक्षा में पात्र अभ्यर्थी न होने के कारण शेष दिव्यांगजन प्रवर्गों OL/OA/PB में अदला–बदली कर भरा जाना था लेकिन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अधिनियम का पालन नहीं किया गया। जिससे पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी राजकीय सेवा से वंचित हो गए हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 धारा 34(2) एवं दिव्यांगजन संबंधित शासनादेश 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियन्ता लोक निर्माण विभाग(सिविल) के रिक्त 07 पदों को दिव्यांगजन की अन्य श्रेणी से भरने के साथ ही चयन परिणाम को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।	उपरोक्त के क्रम में चयन प्रक्रिया नियमानुसार की गयी है, जिसके क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

03	श्री जितेन्द्र कुमार अनुक्रमांक–812079 दिनांक 15.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि दिव्यांगजन के लिए अभिलेख सत्यापन की सूची में कट–ऑफ 43.8732 जारी की गई है। इस संबंध में निम्नवत उल्लेख किया गया है:– (i) सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की कुल 75 पद हैं, जिसमें दिव्यांग के 03 पद आरक्षित हैं, जिसमें 02 पद विकलांग को दिये गये हैं व 01 पद किसी अन्य श्रेणी को दिया गया है। (ii) लघु सिंचाई विभाग में 01 पद विकलांग का अन्य श्रेणी को दिया गया है (iii) जल संस्थान में 01 पद विकलांग का अन्य श्रेणी को दिया गया है। (iv) पेयजल निगम में 02 पद विकलांग के अन्य श्रेणी को दिया गया है। (v) लोक निर्माण विभाग में 09 पद विकलांग का अन्य श्रेणी को दिया गया है। (vi) आवास विभाग में 01 पद विकलांग का अन्य श्रेणी को दिया गया है। (vii) शहरी विकास विभाग में 01 पद विकलांग का अन्य श्रेणी को दिया गया है। (viii) सिंचाई विभाग (यांत्रिक) में 01 पद विकलांग का अन्य श्रेणी में दिया गया है। 2. प्रार्थी का कथन है कि आवास विकास व सिंचाई विभाग में विकलांग श्रेणी (BL) के चिन्हांकित पद हैं, लेकिन BL श्रेणी को किसी भी विभाग में कोई पद नहीं दिया गया है, जबकि दिव्यांग की उपलब्धता न होने पर अन्य अभ्यर्थियों (अनारक्षित, ओ.बी.सी. व अन्य) को दी गई है, जबकि यह	प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन में दिव्यांगजन के पद किसी लम्बवत श्रेणी के अन्तर्गत विज्ञापित नहीं है, अपितु समेकित रूप से क्षेतिज आरक्षण श्रेणी में विज्ञापित किये गये हैं। दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन नियमानुसार उनसे संबंधित मूल श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष किया गया है। यदि किसी विभाग के लिए दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणी का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है, तब दिव्यांगता की संबंधित श्रेणी में चयन नहीं किया गया है और इस स्थिति में लम्बवत मूल श्रेणियों में से किसी पद को कम नहीं किया गया है। बिना चयन के यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि दिव्यांगजन के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर लम्बवत श्रेणी में से किस श्रेणी में से पद कम किये जायें। नियमों में चयनित अभ्यर्थी का समायोजन उसकी मूल श्रेणी में करने का प्राविधान है। तद्नुसार चयन प्रक्रिया सम्पन्न की गई है। उक्त के आलोक में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

		सीटें अन्य पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी जा सकती हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रत्यावेदन में दिव्यांगजन के पदों पर किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न लेकर दिव्यांग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को चयनित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
04	01. शिवानी सैनी अनुक्रमांक–818980 दिनांक– 18.07.2024 02. श्री दीपांशु सैनी अनुक्रमांक–819899 दिनांक–18.07.2024	प्रार्थीगण का कथन है उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023के अंतर्गत दिनांक 11.03.2024 को प्रथम सत्र में अभिलेख सत्यापन कराये गये थे तथा आपके आदेश संख्या 74/22/JE/G-2/2023-24 दिनांक 10.07.2024 को विभागवार कनिष्ठ अभियन्ता सिविल का चयन परिणाम घोषित किया गया है, उसमें प्रार्थीगण नाम नहीं है जबकि चयन परिणाम के आधार पर विभागवार HH/PD के कुल 12 पद रिक्त होना दर्शाया गया है। उक्त के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन में प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रिक्त पद पर चयन किये जाने का अनुरोध किया गया है।	आयोग के निर्णय दिनांक 01.03.2024 में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किये गये हैं, तद्नुसार ही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 यथा संशोधित 2024 में भी प्राविधान किये गये हैं। प्रार्थी शिवानी सैनी के प्रश्नगत परीक्षा में 112.0326 अंक व स्केल्ड अंक 156.9953 एवं श्री दीपांशु सैनी के 89.4875 व स्केल्ड अंक 133.1702 हैं, जबकि न्यूनतम अर्हक 30 प्रतिशत के प्राविधान के क्रम में पूर्णांक का 276 अंक प्रवीणता सूची के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। उपरोक्त के आलोक में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
05.	श्री दुष्यन्त सिंह अनुक्रमांक–820612 दिनांक 18.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2023 का चयन परिणाम श्रेष्ठता क्रम में रैंक लिस्ट क्रम संख्या–37 श्री अक्षय कुमार (अनुक्रमांक–816746) प्राप्तांक 699. 6803, क्रम सं0–43, श्री विष्णु नौडियाल (अनुक्रमांक–821857) प्राप्तांक 699.6803, क्रम सं0 50, श्री आशीष रावत (अनुक्रमांक–812130), प्राप्तांक 694.2957, क्रम सं0 52, श्री पंकज रावत (अनुक्रमांक–812498), प्राप्तांक 692.9808, क्रम सं0 58, श्री अंकित कुमार	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग हेतु सिविल, विद्युत, यांत्रिक एवं कृषि इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी पात्र हैं। उक्त विभाग के लिए इंजीनियरिंग विषयों के मूल अंकों को स्केल्ड करने के उपरांत स्केल्ड अंक सूची तैयार की गयी है। इसी प्रकार सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक के लिए विद्युत व यांत्रिक इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके विषयों की स्केलिंग के उपरांत स्केल्ड अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की गयी है। प्रार्थी व अन्य अभ्यर्थी जिनका उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में किया है, उनका चयन स्केल्ड अंक के आधार पर हुआ है। उक्त अभ्यर्थियों के स्केल्ड

		(अनुक्रमांक–815570), प्राप्तांक 682.3052 सभी अभ्यर्थी इलैक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और इनका चयन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर किया गया है। चयन सूची क्रमांक 23, 28, 34, 35, 38 पर अंकित हैं। प्रार्थी का अनुक्रमांक 820616, प्राप्तांक 706.3677 ज्येष्ठता सूची में 35 वीं रैंक है। प्रार्थी द्वारा विभागीय चयन सूची में सिंचाई विभाग को प्रथम दृष्टया वरीयता दी गई है। प्रार्थी का चयन कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में किया गया है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग चयन सूची क्रम सं0 17 पर अंकित है। प्रार्थी इलैक्ट्रिकल ब्रांच से सम्बन्धित है। उपरोक्त सभी पांच अभ्यर्थियों की अपेक्षा प्रार्थी के प्राप्तांक अधिक है एवं समान ब्रांच (इलैक्ट्रिकल ब्रांच) से होने के उपरांत भी प्रार्थी का चयन सिंचाई विभाग में नहीं किया गया है समान ब्रांच के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में स्केलिंग होना उचित प्रतीत नहीं होता है, यदि स्केलिंग ही होनी है, की स्थिति में मैकेनिकल एवं इलैट्रिकल के सापेक्ष ही प्राप्तांक में स्केलिंग होनी चाहिए थी। अतः स्केलिंग गलत विधि से की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है, जिससे त्रुटिवश प्रार्थी का चयन कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में कर दिया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्रार्थी का चयन कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के स्थान पर सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर करने का अनुरोध किया गया है।	अंक निम्नवत हैः– (अनुक्रमांक–816746)–619.3607 (अनुक्रमांक 821857)–622.026 (अनुक्रमांक 812130)–613.6161 (अनुक्रमांक 812498)–613.7963 (अनुक्रमांक 815570)–610.5542 (अनुक्रमांक 820612 प्रार्थी)–598.8530 उपरोक्त के क्रम में प्रार्थी के स्केल्ड अंक उपरोक्त अन्य अभ्यर्थियों से कम हैं तथा पदों हेतु प्रदान की गयी वरीयता के अनुसार प्रार्थी का चयन कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के लिए मेरिट के आधार पर किया गया है। यह भी उल्लेख करना है कि प्रश्नगत परीक्षा के समस्त अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 में उल्लिखित सूत्र के आधार पर स्केलिंग की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त के आलोक में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

06.	श्री शुभम शर्मा अनुक्रमांक–806305 दिनांक–12.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि इलैक्ट्रिकल ब्रांच में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर आवेदन किया था। इस परीक्षा के परिणाम में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में सिंचाई विभाग के पद पर जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है उसके अंक 629.2671 हैं, जबकि प्रार्थी के अंक 646.1168 हैं। प्रार्थी तथा चयनित अभ्यर्थी (अनुक्रमांक–806305, 808631) दोनों ही एक ही ब्रांच के अभ्यर्थी हैं। अतः चयनित अभ्यर्थी के स्थान पर प्रार्थी का चयन होना चाहिए क्योंकि उसके अंक चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा उचित संशोधन कर प्रार्थी का परीक्षा परिणाम जारी करने का अनुरोध किया गया है।	प्रार्थी (अनुक्रमांक–806305) के स्केल्ड अंक 563.0579 हैं तथा अनुक्रमांक–808631 के स्केल्ड अंक 564.1905 हैं। प्रार्थी के स्केल्ड अंक अन्य अभ्यर्थी से कम हैं। जिस कारण प्रार्थी का चयन नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक (पद क्रमांक–23) व पेयजल विभाग (पद क्रमांक– 24) के लिए चयन स्केल्ड अंक के आधार पर किया गया है। तद्क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
07.	श्री मौ0 अजीम अनुक्रमांक–815981 दिनांक–12.07.024	प्रार्थी का कथन है कि उसकी अपनी ही ब्रांच के अनुक्रमांक संख्या– 818855, 821764, 814233, 819724, तथा 810930 के अभ्यर्थियों का कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग तथा पेयजल विभाग में चयन हुआ है, जबकि प्रार्थी (अनुक्रमांक–815981) के इन चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी उरेडा पद के लिए ओ.बी.सी. के कट–ऑफ मार्क्स 579.9917 से अधिक अंक प्राप्त किये हैं, परन्तु प्रार्थी को कोई भी विभाग में चयनित नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा चयन परिणाम में उचित संशोधन कर प्रार्थी को चयनित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रत्यावेदन में वर्णित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के स्केल्ड अंक निम्नवत हैंः– (अनुक्रमांक–818855) –595.5047 (अनुक्रमांक–821764) –600.3418 (अनुक्रमांक–814233) –600.8100 (अनुक्रमांक–819724) –597.3501 (अनुक्रमांक–809410) –597.4283 (अनुक्रमांक–815981 प्रार्थी)–587.2444 उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों के स्केल्ड अंक प्रार्थी से अधिक हैं, जिस कारण प्रार्थी का चयन सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक (पद क्रमांक–23) व पेयजल विभाग (पद क्रमांक– 24) के लिए नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा अभिकरण उरेडा (पद क्रमांक–15) के लिए 02 वर्ष का अनुभव भी वांछित है। प्रार्थी के प्राप्तांक 587.2444 उरेडा के लिए ओ.बी.सी. के कट–ऑफ मार्क्स 579.9917 से अधिक हैं, परन्तु अनुभव धारित न करने के कारण प्रार्थी उक्त विभाग के पद हेतु अर्ह नहीं है। तद्नुसार प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

08.	श्री अक्षय चौहान अनुक्रमांक–817350 दिनांक 12.07.2024	प्रार्थी का प्रत्यावेदन में कथन है कि पत्रांक संख्या:75/22/JE-23/G-2/2023-24 दिनांक 10.07.2024 से उन्हें ज्ञात हुआ कि उत्तराखण्ड सम्मिलित कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2023 के परिणाम में उनके अपनी ही ब्रांच के अनुक्रमांक सं0 810382, 818379, 821769, 819724, 809410 के अभ्यर्थियों का कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग तथा पेयजल विभाग में चयन हुआ है, जबकि प्रार्थी का अनुक्रमांक 817350 के इन चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक हैं। प्रार्थी द्वारा चयन परिणाम में संशोधन करने व उचित विभाग में चयन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	प्रत्यावेदन में उल्लिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों के स्केल्ड अंक निम्नवत हैंः– (अनुक्रमांक–810382) –600.4822 (अनुक्रमांक–818379) –598.3565 (अनुक्रमांक–821764) –600.3418 (अनुक्रमांक–819724) –579.3501 (अनुक्रमांक–809410) –597.4283 (अनुक्रमांक–817350 प्रार्थी) –591.2061 उपरोक्त विवरण के क्रम में उल्लेख करना है कि प्रार्थी के स्केल्ड अंक चयनित अभ्यर्थियों के स्केल्ड अंक से कम हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण (पद क्रमांक–14), सिंचाई विभाग कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक (पद क्रमांक–23) तथा पेयजल विभाग (पद क्रमांक–24) पर चयन स्केल्ड अंक के आधार पर किया गया है। उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित जाता है।
09.	श्री जशवीर सिंह अनुक्रमांक–808845 दिनांक 11.07.2024	प्रार्थी का प्रत्यावेदन में कथन है कि उनका चयन उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर सिंचाई विभाग में क्रम संख्या–74 पर पूर्व सैनिक उपश्रेणी में हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त परीक्षा में 456.8720 अंक तथा स्केल्ड मार्क्स 426.7445 प्राप्त किये हैं। 2. प्रार्थी द्वारा प्रथम वरीयता लोक निर्माण विभाग तथा द्वितीय वरीयता सिंचाई विभाग हेतु आवेदन किया गया है। 3. लोक निर्माण विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी की कट–ऑफ मार्क्स 334.6970 है। प्रार्थी को अधिक अंक होने पर भी प्रथम वरीयता लोक निर्माण विभाग न देकर द्वितीय वरीयता सिंचाई विभाग दिया गया है, जबकि लोक निर्माण विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के कुल	पूर्व सैनिक, डी.एफ.एफ, व दिव्यांगजन के पद किसी लम्बवत श्रेणी में विज्ञापित नहीं हैं, अपितु समेकित रूप से विज्ञापित किये गये हैं। उपरोक्त उपश्रेणियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उनसे सम्बन्धित मूल श्रेणी के पदों के सापेक्ष किया गया है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के लिए अ.पि.व. के 04 पद विज्ञापित हैं। इन पदों के सापेक्ष 03 दिव्यांगजन व 01 पूर्व सैनिक अभ्यर्थी का समायोजन किया गया है। समायोजित किये गये पूर्व सैनिक के अभ्यर्थी के प्राप्तांक 519.7540 हैं, जबकि प्रार्थी के प्राप्तांक 456.6625 हैं। प्रार्थी द्वारा कट–ऑफ मार्क्स 334.6970 का उल्लेख किया है, जो कि चयन परिणाम दिनांक 10.07.2024 में पूर्व सैनिक उपश्रेणी से चयनित अन्तिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक हैं, परन्तु उक्त अभ्यर्थी की मूल श्रेणी अनुसूचित जाति है, जिसका समायोजन अनुसूचित जाति की रिक्ति के सापेक्ष किया गया है, जबकि प्रार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है। अन्य पिछडा वर्ग की

		10 पद आरक्षित हैं। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा आवेदित प्रथम वरीयता लोक निर्माण विभाग में चयन किये जाने का अनुरोध किया गया है।	रिक्तियों में पूर्व सैनिक के समायोजित किये गये अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रार्थी से अधिक हैं। तद्नुसार प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार कर प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
10.	श्री तपेश त्यागी अनुक्रमांक–819340 दिनांक 12.07.2024	प्रार्थी का कथन है कि वह सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2023 का अभ्यर्थी है तथा आयोग द्वारा जारी चयन परिणाम में प्रार्थी के हिन्दी विषय में कम अंक कर दिये गये हैं। आयोग द्वारा चयन परिणाम प्रार्थी को 81 प्रश्न सही व 19 प्रश्न गलत माने हैं, परन्तु आयोग की संशोधित उत्तर–कुंजी के अनुसार उनके 82 प्रश्न सही व 18 प्रश्न गलत हैं, जिसके कारण उनके प्राप्तांक में 1.25 अंक का अन्तर आ रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का कथन है कि विज्ञापन के अनुसार ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस. एवं अनुसूचित जाति हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष उक्त सभी पदों पर चयन नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा चयन परिणाम की जांच करने एवं चयन परिणाम संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रार्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ ओ.एम.आर. आंसर शीट की कार्बन कॉपी की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसका मिलान उत्तर–कुंजी से किया गया, जिसके क्रम में प्रार्थी का दावा सही प्रतीत हुआ, परन्तु जब प्रार्थी के मूल ओ.एम.आर. आंसर शीट में अंकित उत्तर विकल्प का मिलान उत्तर–कुंजी से किया गया तब यह विदित हुआ कि प्रार्थी द्वारा प्रश्न संख्या–52 के दो विकल्प A व B अंकित किये गये हैं। विज्ञापन में वर्णित प्राविधान के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प का अंकन करता है, तब प्रश्न का उत्तर गलत ही माना जायेगा। इस क्रम में प्रार्थी के 19 प्रश्न गलत हैं। इस प्रकार प्रार्थी के हिन्दी ओ.एम.आर. आंसर शीट का नियमानुसार सही मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि पूर्व सैनिक, डी.एफ.एफ, व दिव्यांगजन के पद किसी लम्बवत श्रेणी में विज्ञापित नहीं हैं, अपितु समेकित रूप से विज्ञापित किये गये हैं। उपरोक्त उपश्रेणियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन उनसे सम्बन्धित मूल श्रेणी के पदों के सापेक्ष किया गया है, जिससे मूल श्रेणी में विज्ञापित रिक्तियों में समायोजित किये गये अभ्यर्थियों के अनुसार कम हो गई हैं। उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

Sd/-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव